भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4357
दिनांक 19 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

वन-स्टॉप-सेन्टर

4357. श्री थोमस याजिकाडनः
श्री सुनील कुमार मंडलः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल के कोट्टायम जिले में वन-स्टॉप-सेंटर की स्थापना की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत आवंटित, जारी, स्वीकृत और उपयोग की गयी कुल निधि कितनी है और इसके द्वारा कितनी प्रतिशत निधि का उपयोग किया गया है;
(ग) क्या सरकार का वन-स्टॉप-सेंटर के अंतर्गत किसी भी तरह की हिंसा से प्रभावित महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए योजना का उन्नयन या नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) और (ख): केरल के कोट्टयम जिले के वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) को वन स्टॉप सेंटर स्कीम के तहत स्वीकृति प्राप्त हो गई है। वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) की स्थापना के लिए 6,91,075/- रूपये की राशि स्वीकृत तथा निर्मुक्त की जा चुकी है और वर्ष 2018-19 के दौरान ओएससी भवन के निर्माण के लिए कोट्टयम जिले को 24,34,686/- रूपये की राशि भी निर्मुक्त की जा चुकी है।
(ग) और (घ): चूंकि ओएससी एक व्यापक स्कीम है जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए समेकित रूप से एक छत के नीचे पुलिस सुविधा, कानूनी परामर्श, मनो-सामाजिक परामर्श, चिकित्सा सहायता और अस्थायी आश्रय सहित सेवाओं की एक श्रंखला प्रदान करती है। वर्तमान में सरकार उन्नयन या नई स्कीम को प्रारंभ करने पर विचार नहीं कर रही है।

*****